Anusanadhan: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Volume 11, Issue 1&2 - 2026, Pg. No. 28-32
Peer Reviewed Journal

Review Article

भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित निर्णय प्रक्रिया और पंचायत शासन में उसकी प्रासंगिकता

शैवेन्द्र कुमार व्यास

सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) राजकीय महाविद्यालय, उच्चैन (भरतपुर)

DOI: https://doi.org/ 10.24321/2395.2288.202605

I N F O

Corresponding Author:
शैवेन्द्र कुमार व्यास, सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) राजकीय महाविद्यालय, उच्चैन (भरतपुर)|
E-mail Id:
shaivendravyas1978@gmail.com
Orcid Id:
https://orcid.org/0009-0009-6731-5051
How to cite this article:
शैवेन्द्र कुमार व्यास, भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित निर्णय प्रक्रिया और पंचायत शासन में उसकी प्रासंगिकता, Anu: a, Mul, Int, Jour, *2026*; 11(1&2): 28-32.

Date of Submission: 2026-02-18
Date of Acceptance: 2026-03-16

A B S T R A C T

भारतीय समाज का शासन-संरचना और निर्णय प्रक्रिया प्राचीन काल से ही 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत पर आधारित रही है। वैदिक, उपनिषदिक तथा स्मृतिकालीन ग्रंथों में शासन और लोककल्याण की अवधारणाएँ निहित हैं, जहाँ राज्य को केवल राजनीतिक संस्था न मानकर, एक नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था के रूप में देखा गया। इस परंपरा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति पंचायत व्यवस्था में परिलक्षित होती है। पंचायत न केवल स्थानीय स्वशासन का माध्यम रही है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System) की जीवनदृष्टि और निर्णय प्रक्रिया का व्यावहारिक रूप भी है।

मुख्य शब्द: भारतीय ज्ञान प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया, पंचायत शासन, लोकसहभागिता, नैतिक प्रशासन, लोककल्याण

प्रस्तावना

भारतीय ज्ञान प्रणाली की मूल अवधारणा - भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधार समग्रता, संतुलन, नैतिकता और आत्मानुशासन पर है। यह ऐसी ज्ञान दृष्टि है जो जीवन के सभी आयामों — सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है। वेदों और उपनिषदों में शासन और निर्णय के विषय में 'धर्म' को केंद्रीय तत्व माना गया है। 'धर्म' यहाँ किसी संकीर्ण धार्मिक संकल्पना का नहीं, बल्कि नैतिक-सामाजिक संतुलन का प्रतीक है। मनुस्मृति में कहा गया है — "धर्मो रक्षति रक्षितः" अर्थात् जो धर्म की रक्षा करता है, वही समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। निर्णय प्रक्रिया में यह धर्माधारित दृष्टि आज के लोकतांत्रिक शासन तंत्र, विशेषकर पंचायत शासन में भी प्रासंगिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय परंपरागत ज्ञान की गौरवशाली परंपरा

Copyright (c) 2026: Author(s). Published by Advanced Research Publications

से सीखने के लिए इस आइकेएस पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हजारों वर्ष पहले से अनुभव किये गये ज्ञान से बहुत कुछ न केवल सीखा जा सकता है बल्कि उस ज्ञान को विश्वपटल पर लाकर पूरी मानवता को लाभान्वित किया जा सकता है|

भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैचारिक आधार

भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधार वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और महाकाव्य ग्रंथों में निहित है। यह प्रणाली केवल आध्यात्मिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन के प्रत्येक पक्ष का मार्गदर्शन करती है।

धर्मप्रधान शासन

भारतीय दर्शन में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि न्याय, कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। मनुस्मृति में कहा गया है – "धर्मो रक्षति रक्षितः"।

लोकसंग्रह और कल्याण

भगवद्गीता (3/20-21) में लोकसंग्रह का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नीति और निर्णय का लक्ष्य समाज के कल्याण हेतु होना चाहिए।

सर्वसम्मति और सहभागिता

ऋग्वेद में 'सभा' और 'समिति' का उल्लेख होता है, जो सामूहिक निर्णय और सर्वसम्मति की संस्कृति का संकेत देते हैं।

न्याय और पारदर्शिता

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन के स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और दण्ड बताए गए हैं। निर्णय प्रक्रिया में न्याय और पारदर्शिता को प्रधान माना गया है।

भारतीय परंपरा में निर्णय प्रक्रिया

प्राचीन भारत में निर्णय प्रक्रिया सदैव सहभागितापूर्ण और विचार-विमर्श पर आधारित रही। सभा, समिति, विदथ, ग्रामसंघ जैसे निकाय न केवल शासन के अंग थे बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र भी थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को प्रजा की राय लेकर ही निर्णय करना चाहिए, क्योंकि शासन की स्थिरता जन-सहमति पर निर्भर करती है। इस विचार का रूपांतरण आधुनिक पंचायत शासन में 'ग्राम सभा' के रूप में हुआ है, जहाँ निर्णय सामूहिक चर्चा और सहमति से लिए जाते हैं। प्रत्येक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में समानताएं और भिन्नता दिखाई देती है जैसे- ऋग्वैदिक संस्थाओं, बुद्धसंघों एवं कुछ जनपदों में निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थी जिनमें निर्णय प्रक्रिया में आम व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित की जाति थी| चोल काल में पंचायतीराज व्यवस्था आज के पंचायती राज के लिए पूर्वपीठिका एवं मार्गदर्शिका मानी जाति है|

निर्णय प्रक्रिया के दार्शनिक तत्व

भारतीय ज्ञान परंपरा में निर्णय प्रक्रिया के चार प्रमुख सिद्धांत मिलते हैं—

1 समन्वय - भिन्न मतों में संतुलन स्थापित करना।
2 सर्वसम्मति - बहुमत के बजाय सर्वजन की स्वीकृति को महत्व देना।
3 धर्माधारित निर्णय - निर्णय का नैतिक आधार।
4 लोककल्याण - निर्णय का अंतिम उद्देश्य जनहित।
5 प्रजानाम् सुखं, सुखं राज्ञम्| प्रजा के सुख में राजा का सुख माना जाता था|

पंचायत शासन में ये चारों तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। ग्राम सभा में सभी वर्गों की भागीदारी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना, और जनकल्याण को केंद्र में रखना—यह सब भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना है।

पंचायत शासन में भारतीय निर्णय प्रक्रिया की प्रासंगिकता

पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार हैं। परंतु इनके निर्णयों की वैधता केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है| भारतीय ज्ञान परंपरा पंचायत शासन को निम्न प्रकार से प्रासंगिक बनाती है—

नैतिक प्रशासन

प्राचीन काल में 'राजधर्म' और 'नैतिक शासन' का जो विचार था, वही आज 'सुशासन' के रूप में पंचायत स्तर पर देखा जा सकताहै।

सहभागिता और सहमति

निर्णय प्रक्रिया में ग्राम सभा की भागीदारी भारतीय परंपरा की 'समिति-संस्कृति' का आधुनिक रूप है। प्राचीन भारतीय शासन परंपरा में राजा निर्णय लेते समय अपने मंत्रियों एवं मित्रों से परामर्श करता था| मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में योग्य शासक एवं योग्यता आधारित नौकरशाही पर बल दिया गया है|

सामाजिक समरसता

भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' के सिद्धांतों पर आधारित है, जो पंचायत शासन में विविधता के बीच एकता की भावना को पुष्ट करता है।

स्थानीय ज्ञान का महत्व

पंचायत स्तर पर निर्णय लेते समय स्थानीय अनुभव, परंपरागत ज्ञान और सामाजिक बुद्धि का उपयोग भारतीय ज्ञान प्रणाली की निरंतरता को दर्शाता है। स्थानीय स्तर पर निर्णय पंच परमेश्वर की अवधारणा पर लिए जाते थे जिसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिक प्राचीन परंपराओं तर्क और धर्मग्रंथों के मूल्यों के आधार पर स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढते थे और अपराधों पर लगाम लगाने का प्रयास करते थे| साथ ही स्थानीय स्तर पर संसाधन तैयार किए जाते थे और स्थानीय निकायों के आय के स्रोत ढूँढे जाते थे|

भारतीय निर्णय प्रक्रिया और आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण का समन्वय

आधुनिक शासन पद्धति मुख्यतः पश्चिमी प्रशासनिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो तर्कशीलता और औपचारिकता पर बल देती है। वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा में निर्णय का आधार नैतिकता, अनुभव और जन-संवेदनशीलता है। यदि पंचायत शासन इन दोनों का संतुलित रूप प्रस्तुत करे अर्थात् यानी नैतिकता, तर्कशीलता और सहभागिता, तो यह न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि सामाजिक विश्वास और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ करेगा।

आधुनिक प्रशासन में प्रासंगिकता

भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित पंचायत शासन आधुनिक प्रशासनिक ढाँचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रासंगिकता केवल स्थानीय शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिकता, सहभागिता और लोकहित के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना शासन की स्थायित्व और प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है।

नैतिक और उत्तरदायी प्रशासन

भारतीय ज्ञान प्रणाली में शासन को नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टिकोण पंचायती राज अधिकारियों को निर्णय लेते समय केवल कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने की

प्रेरणा देता है। स्थानीय प्रशासन में यह दृष्टिकोण भ्रष्टाचार, निर्णय की असमानता और शक्ति के दुरुपयोग को कम करता है। नैतिक आधार पर निर्णय लेने से नागरिकों में प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है और सामाजिक समरसता प्रबल होती है।

नागरिक सहभागिता और लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण

भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित प्रशासन नागरिक सहभागिता को महत्त्व देता है। पंचायत स्तर पर यह ग्राम सभा, वार्ड बैठक और समिति निर्णय के माध्यम से व्यक्त होता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है और प्रशासनिक निर्णय को समाज के वास्तविक हितों के अनुरूप बनाती है। इससे लोकतांत्रिक मूल्य और जवाबदेही की भावना मजबूत होती है।

स्थानीय ज्ञान और अनुभव का महत्व

पंचायत निर्णयों में स्थानीय ज्ञान और परंपरागत अनुभव का समावेश प्रशासन की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ाता है। जल-संरक्षण, कृषि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्थानीय परिप्रेक्ष्य और अनुभवजन्य जानकारी प्रशासनिक निर्णय को अधिक टिकाऊ और समाजोन्मुख बनाते हैं। यह दृष्टिकोण पश्चिमी मॉडल के केवल नियम और औपचारिकता आधारित प्रशासन से भिन्न है और समाज में दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है।

सामाजिक समरसता और समावेशिता

भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित पंचायत शासन सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करता है। निर्णय प्रक्रिया में जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव को न्यूनतम रखा जाता है। संवैधानिक आरक्षण और समुदाय आधारित योजनाओं के माध्यम से महिला और वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे पंचायत निर्णय अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनते हैं।

तकनीकी सहायता और आधुनिक उपकरणों का समन्वय

आधुनिक प्रशासन में डिजिटल तकनीक, ई-गवर्नेंस और सूचना प्रणाली का उपयोग पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान प्रणाली के मूल्यों के साथ समन्वित किया जा सकता है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और समयबद्धता भी सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ऑनलाइन बैठक और मतदान प्रणाली पंचायत स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को त्वरित और निष्पक्ष बनाती है।

सतत विकास और पर्यावरणीय निर्णय

भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित पंचायत प्रशासन में सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन के सिद्धांत शामिल हैं। जल, भूमि और वन संसाधनों के संरक्षण के लिए स्थानीय अनुभव और परंपरागत प्रथाओं का उपयोग प्रशासनिक निर्णय में किया जाता है। यह दृष्टिकोण केवल विकास तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के दीर्घकालिक हित को सुनिश्चित करता है।

प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही

भारतीय ज्ञान प्रणाली के तत्व पंचायत प्रशासन में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। निर्णय लेने वाले अधिकारी और निकाय समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे प्रशासनिक निर्णय केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके परिणामों की सामाजिक प्रभावशीलता भी मूल्यांकित की जाती है।

इस प्रकार, भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित पंचायत शासन आधुनिक प्रशासन में नैतिकता, सहभागिता, पारदर्शिता, स्थानीय ज्ञान और सामाजिक समरसता का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करता है। इससे ग्राम स्तर पर निर्णय अधिक न्यायपूर्ण, प्रभावी और टिकाऊ बनते हैं। आधुनिक प्रशासनिक उपकरणों और तकनीकी सहायता के साथ इसका संयोजन प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और समाजोपयोगिता को और अधिक सुदृढ़ करता है। यह दृष्टिकोण पंचायत शासन को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि एक

सामाजिक न्याय, लोकहित और नैतिकता आधारित प्रणाली बनाता है, जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य और ज्ञानपरंपरा को समकालीन प्रशासनिक संदर्भ में जीवंत करता है।

वर्तमान संदर्भ में चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हालांकि भारतीय निर्णय प्रक्रिया की भावना आज भी पंचायतों में विद्यमान है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ उभरती हैं—

1 प्रशासनिक औपचारिकता में नैतिक मूल्यों का क्षरण|
2 राजनीतिक हस्तक्षेप से निर्णय प्रक्रिया का प्रभावित होना|
3 ग्राम सभा की निष्क्रियता और जनजागरूकता की कमी|
4 परंपरागत ज्ञान की उपेक्षा|

इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय ज्ञान प्रणाली पंचायत शासन को सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक आधार प्रदान कर सकती है। यह न केवल स्थानीय लोकतंत्र को सशक्त करेगी बल्कि शासन को 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण भी देगी।

निष्कर्ष

भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित निर्णय प्रक्रिया केवल एक प्राचीन विचार नहीं, बल्कि आधुनिक लोकतंत्र की आत्मा है। पंचायत शासन इसकी जीवंत अभिव्यक्ति है, जहाँ निर्णय का उद्देश्य सत्ता-संचालन नहीं बल्कि जनकल्याण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतों में निर्णय प्रक्रिया को केवल प्रशासनिक औपचारिकता न माना जाए, बल्कि उसे भारतीय नैतिकता, सहभागिता और लोकहित के मूल्यों से जोड़ा जाए। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परंपरा पंचायत शासन को एक नैतिक, सहभागी और आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करती है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप और लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप है।

संदर्भ

1 कौटिल्य, अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2010।
2 मनु, मनुस्मृति, चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी, 2015।
3 शर्मा, आर.एस., भारतीय राजनीतिक विचारधारा, ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2012।
4 Mahadevan, T.P., Indian Knowledge Systems and Governance, Oxford University Press, 2019।
5 Dube, S.C., Indian Village and Panchayati Raj, National Book Trust, 2016.
6 Raj Gopalan, R., Ethics and Public Administration in India, Sage Publications, 2020